सामान्य परिपत्र सं.-18

फाईल सं. एमसीए21/72/2014-ई गवर्नेंस

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन

डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 11जून, 2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी पणधारक

विषयः कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किसी कंपनी को सार्वजनिक से निजी में बदलने के लिए प्ररूप सं. आईएनसी-27 दायर करने के लिए स्पष्टीकरण से संगत।

महोदय,

किसी सार्वजनिक कंपनी की निजी कंपनी में बदलने के लिए प्ररूप आईएनसी-27 दायर करते समय पणधारकों के सम्मुख आने वाली समस्याओं की तरफ मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है। कंपनी अधिनियम,2013 के संगत प्रावधान [धारा 14 की उपधारा (1) का दूसरा परंतुक और उपधारा (2) अधिसूचित नहीं किए गए हैं। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अधिसूचित किए जाने तक कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान [धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2क)] लागू रहेंगे। केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत ऐसी शक्तियां दिनांक 10 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 1538 (ड.) की मद संख्या (ग) के द्वारा कंपनी रजिस्ट्रारों को सौंपी है और ये प्रदत्त शक्तियां ही लागू होंगी। अतः ऐसे परिवर्तनों के लिए आवेदन पूर्व के प्रावधानों के अनुसार ही आवेदन दायर और निपटाएं जाएंगे।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में जारी किया जाता है।

(संजय कुमार गुप्ता)

उप निदेशक

दूरभाषः23384657

प्रति प्रेषितः

1. सचिव के पीएसओ
2. अपर सचिव के पीपीएस
3. संयुक्त सचिव (एम) के पीएस /संयुक्त सचिव (बी) के पीएस /संयुक्त सचिव (एसपी) के पीपीएस
4. निदेशक (एके)/निदेशक (एबी)/निदेशक (एनसी)/निदेशक (पीएस)

सामान्य परिपत्र सं.-17

सं. एमसीए21/72/2014-ई गवर्नेंस

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन

डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 11 जून, 2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी पणधारक

विषयः एमजीटी-10 की फाइलिंग के स्पष्टीकरण से संगत।

महोदय,

दिनांक 29.03.2014 और 25.4.2014 के आम परिपत्र संख्या क्रमशः 06/2014 और 09/2014 के अनुसरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है। कि पणधारकों को भौतिक रूप प्रपत्र एमजीटी-10 भरने, किसी व्यवसायिक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित/प्रमाणित कराने तथा सामान्य ई-प्ररूप सं. जीएनएल-2 में उल्लिखित संलग्नकों के अनुसार अन्य अपेक्षित संलग्नकों के साथ दायर करें। यह अस्थायी व्यवस्था एमजीटी-10 के लिए ई-प्ररूप के उपलब्ध कराए जाने तक जारी रहेगी। एमजीटी-10 के लिए लागू शुल्क कंपनी (कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और शुल्क नियम, 2014 में उल्लिखित शुल्क तालिका के अनुसार होगी।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में जारी किया जाता है।

(संजय कुमार गुप्ता)

उप निदेशक

दूरभाषः23384657

प्रति प्रेषितः

1. सचिव के पीएसओ
2. अपर सचिव के पीपीएस
3. संयुक्त सचिव (एम) के पीएस /संयुक्त सचिव (बी) के पीएस /संयुक्त सचिव (एसपी) के पीपीएस
4. निदेशक (एके)/निदेशक (एबी)/निदेशक (एनसी)/निदेशक (पीएस)
5. सहायक निदेशक (एमएएस)

सामान्य परिपत्र सं.-16/2014

फाईल सं.01/12/2013-सीएल-v

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन

डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001

दिनांकः जून, 2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी पणधारक

विषयः विदेशी नागरिकों के लिए स्थायी खाता संख्या की आवश्यकता को लागू करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 22.05.2014 के सामान्य परिपत्र संख्या 12/2014 के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र के प्रावधान उन विदेशी नागरिकों के लिए लागू होता है जो कंपनी के निगमन के समय एक उपभोक्ता/प्रयोजक हैं।

2. यदि उक्त उपभोक्ता/ प्रायोजक के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) नहीं है तो वह निगमीकरण प्ररूप (आईएनसी-7) के संलग्नकानुसार निर्धारित प्रफोर्मा में घोषणा भरेगा/भरेगी।
3. इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित कंपनी के स्थायी निदेशक के मामले में उसे निगमीकरण के समय पैन विवरण जमा कराना अपेक्षित होगा।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(संजय कुमार गुप्ता)

उप निदेशक

दूरभाषः23384657

संलग्नक-घोषणा

प्रति प्रेषितः

1. सचिव के पीपीएस
2. अपर सचिव के पीपीएस
3. संयुक्त सचिव (बी)/ संयुक्त सचिव (एम)/जांच एवं निरीक्षण निदेशक (यूसीएन)/ जांच एवं निरीक्षण निदेशक (बीएनएच)/ जांच एवं निरीक्षण निदेशक(आरसीएम) के पीपीएस
4. निदेशक (एबी) के पीएस

<u>घोषणा</u>

मैं,.....(नाम), पुत्र श्री.....(पिता का नाम).....निवासी.....(नागरिकता), निवासी (पता)....., पासपोर्ट सं.....(पासपोर्ट सं.), एतद्वारा निम्नलिखित घोषणा करता हूं :-

(i) कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत मेरे लिए आयकर स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है;

(ii) कि उपर्युक्तानुसार मुझे कोई पैन संख्या जारी नहीं की गई है;

(iii) कि मैं घोषणा करता हूं कि मुझे स्थायी खाता संख्या आबंटित होते ही मैं अपना पैन विवरण कंपनी रजिस्ट्रार (अधिकार क्षेत्र का उल्लेख) को उपलब्ध करा दूंगी/दूंगा।

दिनांकः

स्थानः

(हस्ताक्षर)

सदस्य का नाम

सामान्य परिपत्र सं.-15/2014

फाईल सं.5/6/2014-सीएल-I
भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन
डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 9 जून, 2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक
सभी कंपनी रजिस्ट्रार
सभी पणधारक

विषयः नए फार्मेट में [धारा 186 की उपधारा (9)] रजिस्टर बनाने के संबंध में स्पष्टीकरण

महोदय,

इस मंत्रालय में ऋण/गारंटी/प्रतिभूती/अधिग्रहण के रजिस्टर को नए फार्मेट में रखने के संबंध में कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उनके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 12 के उप-नियम (1) के साथ पठित धारा 186 की उपधारा (9) के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने वाले विभिन्न पत्र प्राप्त हुए हैं।

2. इस संबंध में एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372क की उपधारा (5) के अनुसरण में कंपनियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों को इन प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार जारी रखा जाए तथा ऐसे रजिस्ट्रों में विशिष्टियां दायर करने के लिए प्ररूप एमबीपी-2 में उल्लिखित नया फार्मेट दिनांक 01.04.2014 से प्रयुक्त किया जाएगा।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में जारी किया जाता है।

भवदीया

(कामना शर्मा)
सहायक निदेशक

सचिव के पीएसओ/अपर सचिव के पीपीएस
संयुक्त सचिव (एम)/संयुक्त सचिव (बी)/संयुक्त सचिव (एसपी)/ जांच एवं निरीक्षण निदेशक (यूसीएन)/ जांच एवं निरीक्षण निदेशक(आरसीएम) के पीपीएस
निदेशक (एके) /निदेशक (एबी)/निदेशक (एनसी)/निदेशक (पीएस),सीएल-5 अनुभाग

सामान्य परिपत्र सं.-14/2014

फाईल सं.1/22/2013-सीएल-v

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन

डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 9 जून, 2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी पणधारक

विषयः कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उल्लिखित नियमों पर स्पष्टीकरण- निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और योग्यताओं से संगत मामले।

महोदय,

सरकार को अन्य बातों के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित दिनांक 1अप्रैल, 2014 को प्रवृत प्रासंगिक नियमों के तहत स्वंतत्र निदेशकों (आईडी) की नियुक्ति के बारे में औद्योगिक चैंबरों, व्यवसायिक संस्थाओं और अन्य शेयरधारकों से स्पष्टीरण मांगते हुए अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। अभिवेदनों की जांच कर ली गई है और निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिए गए है।

(i) <u>धारा 149 (6) (ग): "कुछ संव्यवहारों में आर्थिक हित":-</u> (क) इस प्रावधान के तहत अन्य बातों के साथ यह भी अपेक्षित है कि एक स्वंतत्र निदेशक का संगत कंपनी या इसकी हाल्डिंग/ अनुषंगी/ सहायक कंपनी और उल्लिखित अन्य किन्हीं श्रेणियों के साथ वर्तमान और पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कोई 'आर्थिक संबंध' नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण मांगे गए है कि क्या किसी स्वतंत्र निदेशक द्वारा किसी कंपनी के साथ किए गए संव्यवहार आमजन के किसी सदस्य के समान है और ऐसे आम सदस्य द्वारा भुगतान योग्य/चुकाई गई समान राशि धारा 149(6) (ग) के तहत 'आर्थिक संबंध' के अवरोध को आकर्षित करेगी। मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया गया कि धारा 188 के प्रावधानों जो संगत पक्ष संव्यवहारों के उद्देश्य से आर्मलेंथ मूल्य पर व्यापार के सामान्य तरीके में संव्यवहार किया गया हो, को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों में धारा 149(6) (ग) के तहत एक स्वतंत्र निदेशक को आर्थिक संबंध नहीं कहा जाएगा।

(ख) शेयरधारकों ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या ऐसी कंपनी की हॉल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी या अनुषंगी कंपनी में एक 'स्वतंत्र निदेशक' की नियुक्ति के बारे में विचार करते समय उस कंपनी से

स्वतंत्र निदेशक द्वारा परिश्रमिक की पावती (अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार) आर्थिक हित माना जाएगा।

सेबी के साथ परामर्श करके मामले की जांच की गई और यह स्पष्ट किया गया कि अधिनियम की धारा 149(6) (ग) में उल्लिखित 'आर्थिक संबंध' में धारा 197 की उपधारा (5) के तहत उल्लिखित एक या अधिक कंपनियों से शुल्क के रूप में पारिश्रमिक की पावती, बोर्ड और अन्य बैठकों में हिस्सा लेने के लिए हुए व्यय का पुनः भुगतान तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में सदस्यों द्वारा आयोग से संगत लाभ सम्मिलित नहीं है।

(ii) <u>धारा 149 : स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्तिः</u>- यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या 1 अप्रैल, 2014 से पहले नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर सकेंगे या कार्यालय से इस्तीफा देंगे और नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियुक्ति (क्या कंपनी ऐसा निर्णय लेगी) की जाएगी।

अधिनियम के प्रावधानों मुख्यतः धारा 149 (5) और 149 (10) और (11) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की गई है। धारा 149 (11) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख पर किसी 'स्वतंत्र निदेशक' का कार्यकाल इस अधिनियम के तहत उसकी नियुक्त/ निदेशक के कार्यालय में कार्यभार संभालने के लिए नहीं मानी जाएगी। धारा 149 (5) के तहत एक वर्ष के संक्रमणकाल को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि यह आवश्यक होगा कि यदि इस अधिनियम के तहत वर्तमान 'स्वतंत्र निदेशकों' की नियुक्ति अभिप्रेत है तो योग्यता और उल्लिखित अन्य शर्तों को पूर्ण किए जाने पर अधिनियम की अनुसूचित-IV के साथ पठित धारा 149(10)/11 के तहत ऐसी नियुक्ति स्पष्ट रूप से की जाएगी।

(iii) <u>धारा 149 (10)/11- 5 वर्ष से कम अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्तिः</u>- स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या एक स्वंतत्र निदेशक को पांच वर्ष से कम अवधि के लिए नियुक्ति करना संभव है। यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 149(10) में एक 'स्वतंत्र निदेशक' के लिए "लगातार पांच वर्ष तक" वाक्यांश का प्रावधान है। अतः एक स्वतंत्र निदेशक के लिए पांच वर्ष से कम अवधि का कार्यकाल स्वीकार्य होगा, अधिनियम की धारा 149 (10) के तहत किसी भी कार्यकाल (यदि पांच वर्ष या कम हो) के लिए नियुक्ति को एक एकल कार्यकाल के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 149 (11) के तहत कोई भी व्यक्ति 'लगातार दो कार्यकालों' से अधिक 'स्वतंत्र निदेशक' के रूप में नियुक्ति नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को लगातार दो कार्यकालों के बाद त्यागपत्र देना होगा, भले ही इस तरह के दो कार्यकालों में उसकी नियुक्ति 10 से कम वर्षों के लिए हुई हो। ऐसे मामले में वह व्यक्ति लगातार दस से कम वर्षों का कार्यकाल पूर्ण करने पर तीन वर्षों की उपशमन अवधि के बाद ही दूसरी नियुक्ति के लिए योग्य होगा।

(iv) <u>'स्वतंत्र निदेशकों' की नियुक्ति के पत्र से नियुक्तिः</u>- अधिनियम की अनुसूची IV के पैरा IV (4) (स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता) के संदर्भ में जिसमें एक नियुक्ति पत्र के माध्यम से 'स्वतंत्र निदेशकों' की नियुक्ति को औपचारिक बनाने की आश्यकता है, स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या ऐसी अपेक्षाएं वर्तमान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए भी लागू की जाएगी?

मामले की जांच की गई। अनुसूची।V के विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नए अधिनियम के तहत 'स्वतंत्र निदेशकों' की नियुक्ति एक नियुक्ति पत्र के माध्यम से की जाने की आवश्यकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(कामना शर्मा)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. ई गवर्नेंस अनुभाग और वेब कंटेंट्स अधिकारी के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
2. गार्ड फाइल

सामान्य परिपत्र सं.-13/2014

फाईल सं.एमसीए21/28/2014-ई गवर्नेंस

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन

डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 23.05.2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी पणधारक

विषयः दिनांक 31 मार्च, 2014 आरक्षित नामों के लिए वैद्यता को बढ़ाने के लिए।

महोदय,

दिनांक 12.05.2014 के सामान्य परिपत्र सं. 11/2014 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी दिनांक 31 मार्च, 2014 तक आरक्षित नामों की वैधता को इस परिपत्र के जारी होने से 15 दिन की दूसरी अवधि तक बढ़ाने की स्वीकृति देते हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(केएमएस नारायणन)

सहायक निदेशक

23387263

प्रति प्रेषितः

1. सचिव के पीएसओ
2. अपर सचिव के पीपीएस
3. संयुक्त सचिव (एम) के पीएस /संयुक्त सचिव (बी) के पीएस /संयुक्त सचिव (एसपी) के पीपीएस
4. निदेशक (एके)/निदेशक (एबी)/निदेशक (एनसी)/निदेशक (पीएस)
5. सहायक निदेशक के एमएस

सामान्य परिपत्र सं.-12/2014

फाईल सं.1/12/2013-सीए-v

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन

डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 22.05.2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी पणधारक

विषयः विदेशी नागरिकों के लिए पैन संख्या की आवश्यकता को लागू करना।

महोदय,

विदेशी नागरिकों द्वारा निगमीकरण के लिए आवेदन दायर करते समय इच्छुक निदेशकों के लिए पैन संख्या विवरण दायर करने की अनिवार्य अपेक्षा के कारण निगमीकरण फार्म (आईएनसी-7) दायर करते समय सामना की जाने वाली समस्याओं की तरफ मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि पैन विवरण केवल उन्हीं विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य है जिनके लिए निगमीकरण के लिए आवेदन की तारीख को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में "पैन" लेना अपेक्षित है। यदि एक इच्छुक निदेशक जो एक विदेशी नागरिक है, के लिए पैन संख्या को अनिवार्य रूप से लागू करने आवश्यक नहीं है के साथ पासपोर्ट संख्या देना होगी। अपेक्षित घोषणा का प्ररूप संलग्न प्रफोर्मा में दिया गया है।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में जारी किया जाता है।

भवदीय

(केएमएस नारायणन)

सहायक निदेशक

23387263

प्रति प्रेषितः

1. सचिव के पीएसओ
2. अपर सचिव के पीपीएस
3. संयुक्त सचिव (एम) के पीएस /संयुक्त सचिव (बी) के पीएस /संयुक्त सचिव (एसपी) के पीएस
4. निदेशक (एके)/निदेशक (एबी)/निदेशक (एनसी)/निदेशक (पीएस)

<u>घोषणा</u>

मैं,.....(नाम), पुत्र श्री.....(पिता का नाम).....निवासी.....(नागरिकता), निवासी (पता)....., पासपोर्ट सं.....(पासपोर्ट सं.), एतद्वारा निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूं :-

(i) कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत मेरे लिए आयकर स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है;

(ii) कि उपर्युक्तानुसार मुझे कोई पैन संख्या जारी नहीं की गई है;

(iii) कि मैं घोषणा करता हूं कि मुझे स्थायी खाता संख्या आबंटित होते ही मैं अपना पैन विवरण कंपनी रजिस्ट्रार (अधिकार क्षेत्र का उल्लेख) को उपलब्ध करा दूंगी/दूंगा।

दिनांकः

स्थानः

(हस्ताक्षर)

सदस्य का नाम

सामान्य परिपत्र सं.-10/2014

फाईल सं.एमसीए21/28/2014-ई गवर्नेंस

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन

डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 07.05.2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

विषयः दिनांक 31 मार्च, 2014 आरक्षित नामों के लिए वैद्यता को बढ़ाने के लिए।

महोदय,

दिनांक 12.05.2014 के सामान्य परिपत्र सं. 11/2014 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी दिनांक 31 मार्च, 2014 तक आरक्षित नामों की वैधता को इस परिपत्र के जारी होने से 15 दिन की दूसरी अवधि तक बढ़ाने की स्वीकृति देते हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(केएमएस नारायणन)

सहायक निदेशक

23387263

प्रति प्रेषितः

1. सचिव के पीएसओ
2. अपर सचिव के पीपीएस
3. संयुक्त सचिव (एम) के पीएस /संयुक्त सचिव (बी) के पीएस /संयुक्त सचिव (एसपी) के पीपीएस
4. निदेशक (एके)/निदेशक (एबी)/निदेशक (एनसी)/निदेशक (पीएस)
5. सहायक निदेशक के एमएस

सामान्य परिपत्र सं.-10/2014

फाईल सं.एमसीए21/28/2014-ई गवर्नेंस

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन

डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 07.05.2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

विषयः कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत व्यवसायरत व्यवसायिकों द्वारा ई प्ररूपों/गैर-ई-प्ररूपों के स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

मंत्रालय ने व्यवसायिक संस्थानों के पंजीकृत सदस्यों को उनके द्वारा एमसीए के भरे जाने वाले दस्तावेजों के औचित्य और संपूर्णता की प्रमाणित करने के लिए स्वीकृति दी है। प्रमाणित किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण एमसीए पोर्टल पर दिनांक 28.04.2014 की अधिसूचना में दिया गया है।

2. इस संबंध में कंपनी (कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और शुल्क) नियम, 2014 जो उत्तरदायित्व का विस्तार करता है, के तहत उल्लिखित दस्तावेजों, के प्रमाणिकरण के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त के नियम 10 के अनुसार, रजिस्ट्रार एमसीए पोर्टल पर सामान्य प्ररूपों के साथ संलग्न और फाइल किए गए ई-प्ररूपों या गैर- ई-प्ररूपों को सत्यापित करना होगा कि सभी अपेक्षाएं पूरी हो रही है और प्ररूपों के साथ संलग्न सभी दस्तावेज की यथाविधि सूक्ष्म जांच की है और उपर्युक्त नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार संलग्न किए गए है।

3. जहां भी दस्तावेज, आवेदन या विवरिणकी या याचना आदि मे गलत या भ्रामक सूचना या महत्वपूर्ण तथ्य मिटाने या अधूरी सूचना देना पाया गया तो प्रादेशिक निदेशक या रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो, प्ररूप सत्यापित करन वाले और उस पर हस्तक्षर करने वाले व्यवसायिकों और गलत या भ्रामक या गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रथम दृष्ट्या जिम्मेदार अधिकारी पर उक्त नियमों के अनुसरण में शीघ्र जांच बैठाएगा; इस उद्देश्य के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जा सकता है।

4. प्रादेशिक निदेशक या रजिस्ट्रार कंपनी अधिनियम, 2013 का धारा 447 और 448 जो भी लागू हो के तहत की गई कार्रवाही की सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करने के लिए दी गई समय-सीमा के समाप्त

होने के 15 दिन के भीतर प्रारंभ की गई जांच की रिपोर्ट तथा संबंधित व्यवसायिक संस्थान को निर्दिष्ट मामले पर अनुशासनात्मक कार्रवाही शुरू करने के लिए मंत्रालय के ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ को सौंपेंगे।

5. मंत्रालय का ई-गर्वनेंस प्रकोष्ठ इस तरह के प्रथम दृष्ट्या पाए गए मामले के लिए अधिनियम की धारा 448 और 449 के तहत कार्रवाही प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निदेशक जारी करेगा। इसके बाद ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ ऐसे मामले को संबंधित संस्थान को दोषी सदस्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही करने तथा संबंधित व्यवसाय को भविष्य में एमसीए पोर्टल पर भविष्य में किसी भी तरह की फाइलिंग के लिए वंचित करेगा।

6. रजिस्ट्रार अर्द्धमासिक रिपोर्ट संबंधित प्रादेशिक निदेशक तथा ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ को अग्रेसारित करेगा। इसके बाद, प्रादेशिक निदेशक एक समेकित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख या उससे पहले उल्लिखित प्राफोर्मो (प्रतिलिपि संलग्न है) में संयुक्त सचिव ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ को अग्रेसारित करेगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(केएमएस नारायणन)
सहायक निदेशक
23387263

प्रति प्रेषितः

1. सचिव के पीएसओ
2. अपर सचिव के पीपीएस
3. संयुक्त सचिव (एम) के पीएस /संयुक्त सचिव (बी) के पीएस /संयुक्त सचिव (एसपी) के पीपीएस
4. निदेशक (एके)/निदेशक (एबी)/निदेशक (एनसी)/निदेशक (पीएस)
5. सहायक निदेशक के एमएस

आरओसी द्वारा अर्द्धमासिक रिपोर्ट के लिए प्रफोर्मा

.....से.....तक की अवधि के लिए

क्र. सं.	व्यवसायिक का नाम	संस्थान का सदस्य	सदस्यता सं./सी.पी. संख्या	मामले का ब्यौरा	टिप्पणियां

प्रादेशिक निदेशक द्वारा अर्द्धमासिक रिपोर्ट के लिए प्रफोर्मा

.....माह के लिए

क्र. सं.	प्रादेशिक निदेशक का नाम	व्यवसायिक का विवरण	सदस्यता सं./सी.पी. संख्या	मामले के तत्थ	टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अभी तक अधिसूचित किए गए प्रावधानों और उनसे संगत कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की तालिका

टिप्पणः शेयरों धारकों की सूचना के लिए यह एक तैयार गणक है। कृपया जारी किए गए प्रासंगिका अधिसूचनाओं और परिपत्रों का संदर्भ लें।

क्र सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 के यथाअधिसूचित प्रावधान (98+1+183= 282 धाराएं)	कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान	कंपनी अधिनियम,1956 के संगत प्रावधान, जो लागू रहेगें
1.	धारा 2		
	खंड (1)	2(1)	नहीं
	खंड (2)	211(3ग)	नहीं
	खंड (3)	2(1क)	नहीं
	खंड (4)	2(1ख)	नहीं
	खंड (5)	2(2)	नहीं
	खंड (6)	नहीं	नहीं
	खंड (7)	नहीं	नहीं
	खंड (8)	नहीं	नहीं
	खंड (9)	2(5)	नहीं
	खंड (10)	2(6); 252(3)	नहीं
	खंड (11)	2(7)	नहीं
	खंड (12)	2(8)	नहीं
	खंड (13)	209(1)	नहीं
	खंड (14)	2(9)	नहीं
	खंड (15)	नहीं	नहीं
	खंड (16)	124	नहीं
	खंड (17)	धारा 33(2) की व्याख्या	नहीं
	खंड (18)	नहीं	नहीं
	खंड (19)	नहीं	नहीं
	खंड (20)	2(10) और 3	नहीं
	खंड (21)	2(23) और 12(2)(ख)	नहीं
	खंड (22)	2(23) और 12(2)(क)	नहीं
	खंड (24)	2(45)	नहीं
	खंड (25)	2(45क)	नहीं
	खंड (26)	नहीं	428 'सहयोगी'शब्द समापन के लिए प्रयुक्त होगा
	खंड (27)	नहीं	नहीं
	खंड (28)	233ख(1)	नहीं
	खंड (29)(उपखंड (iv) के अतिरिक्त	2(11), 2(14), 10	622

क्र सं..	कंपनी अधिनियम, 2013 के यथाअधिसूचित प्रावधान (98+1+183= 282 धाराएं)	कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान	कंपनी अधिनियम,1956 के संगत प्रावधान, जो लागू रहेगें
	खंड (30)	2(12)	नहीं
	खंड (31)	58क (11) के अतिरिक्त	नहीं
	खंड (32)	2(12क)	नहीं
	खंड (33)	2(12ख)	नहीं
	खंड (34)	2(13)	नहीं
	खंड (35)	2(14क)	नहीं
	खंड (36)	2(15)	नहीं
	खंड (37)	2(15क)	नहीं
	खंड (38)	59(2)	नहीं
	खंड (39)	नहीं	नहीं
	खंड (40)	नहीं	नहीं
	खंड (41) [पहले परंतुक के अतिरिक्त]	2(17)	नहीं
	खंड (42)	नहीं	नहीं
	खंड (43)	धारा 2 (29क) के अतिरिक्त	नहीं
	खंड (44)	नहीं	नहीं
	खंड (45)	2(18), 617	नहीं
	खंड (46)	2(19), 4	नहीं
	खंड (47)	नहीं	नहीं
	खंड (48)	नहीं	नहीं
	खंड (49)	नहीं	नहीं
	खंड (50)	नहीं	नहीं
	खंड (51)	नहीं	नहीं
	खंड (52)	2(23क)	नहीं
	खंड (53)	2(24)	नहीं
	खंड (54)	2(26)	नहीं
	खंड (55)	2(27), 41	नहीं
	खंड (56)	2(28)	नहीं
	खंड (57)	2(29क)	नहीं
	खंड (58)	नहीं	नहीं
	खंड (59)	2(30)	नहीं
	खंड (60)	2(31), 5, 7	नहीं
	खंड (61)	नहीं	448
	खंड (62)	नहीं	नहीं
	खंड (63)	नहीं	नहीं
	खंड (64)	2(32)	नहीं
	खंड (65)	धारा 192क के अतिरिक्त	नहीं
	खंड (66)	2(33)	नहीं

क्र सं..	कंपनी अधिनियम, 2013 के यथाअधिसूचित प्रावधान (98+1+183= 282 धाराएं)	कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान	कंपनी अधिनियम,1956 के संगत प्रावधान, जो लागू रहेगें
	खंड (67) [उपखंड (ix) के अतिरिक्त]	2(34)	नहीं
	खंड (68)	2(35)	नहीं
	खंड (69)	धारा 62(6) की व्याख्या	नहीं
	खंड (70)	2(36)	नहीं
	खंड (71)	2(37)	नहीं
	खंड (72)	4क	नहीं
	खंड (73)	2(39)	नहीं
	खंड (74)	नहीं	नहीं
	खंड (75)	2(40)	नहीं
	खंड (76)	नहीं	नहीं
	खंड (77)	2(41), 6 अनुसूची झ क	नहीं
	खंड (78)	198 की व्याख्या	नहीं
	खंड (79)	2(42)	नहीं
	खंड (80)	2(43)	नहीं
	खंड (81)	2(45कक)	नहीं
	खंड (82)	2(45ख)	नहीं
	खंड (83)	नहीं	नहीं
	खंड (84)	2(46)	नहीं
	खंड (85)	नहीं	नहीं
	खंड (86)	नहीं	नहीं
	खंड (87)	2(47), 4	नहीं
	खंड (88)	धारा 79क की व्याख्या ॥	नहीं
	खंड (89)	2(48)	नहीं
	खंड (90)	2(49क)	नहीं
	खंड (91)	नहीं	नहीं
	खंड (92)	12(2)(ग)	नहीं
	खंड (93)	नहीं	नहीं
	खंड (94)	धारा 269 की व्याख्या	नहीं
	खंड (95)	2(31क), 2क	नहीं
2.	धारा 3	12	नहीं
3.	धारा 4	13,14,15,15क,15ख, 20, 37	नहीं
4.	धारा 5	26,27,28,29,30	नहीं
5.	धारा 6	9	नहीं
6.	धारा 7 (उपधारा (7) के अतिरिक्त)	33,34(1),35	नहीं
7.	धारा 8 (उपधारा (9) के अतिरिक्त)	25	नहीं
8.	धारा 9	34(2)	नहीं
9.	धारा 10	36	नहीं
10.	धारा 11	149	नहीं
11.	धारा 12	17क, 146, 147	नहीं
12.	धारा 13	16,17,18,19,21,23	नहीं
13.	धारा 14 [उपधारा (1) और (2) के दूसरे परंतुक के अतिरिक्त]	31 [उपधारा (1) और (2क) के परंतुक के अतिरिक्त]; 43	धारा 31की उपधारा (1) के परंतुक

क्र सं..	कंपनी अधिनियम, 2013 के यथाअधिसूचित प्रावधान (98+1+183= 282 धाराएं)	कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान	कंपनी अधिनियम,1956 के संगत प्रावधान, जो लागू रहेगें
14.	धारा 15	40	धारा 31की उपधारा (2क) के परंतुक नहीं
15.	धारा 16	22	नहीं
16.	धारा 17	39	नहीं
17.	धारा 18	32	नहीं
18.	धारा 19	42	नहीं
19.	धारा 20	51, 52, 53	नहीं
20.	धारा 21	54	नहीं
21.	धारा 22	47, 48	नहीं
22.	धारा 23	67	नहीं
23.	धारा 24	55क	नहीं
24.	धारा 25	64	नहीं
25.	धारा 26	55,56,57,58,59,60, अनुसूची. II	नहीं
26.	धारा 27	61	नहीं
27.	धारा 28	नहीं	नहीं
28.	धारा 29	68ख	नहीं
29.	धारा 30	66	नहीं
30.	धारा 31	68	नहीं
31.	धारा 32	60ख	नहीं
32.	धारा 33	56(3)	नहीं
33.	धारा 34	63	नहीं
34.	धारा 35	62	नहीं
35.	धारा 36	68	नहीं
36.	धारा 37	नहीं	नहीं
37.	धारा 38	68क	नहीं
38.	धारा 39	69, 75	नहीं
39.	धारा 40	73, 76	नहीं
40.	धारा 41	नहीं	नहीं
41.	धारा 42	67	नहीं
42.	धारा 43	2(46क), 85, 86	नहीं
43.	धारा 44	82	नहीं
44.	धारा 45	83	नहीं
45.	धारा 46	84	नहीं
46.	धारा 47	87	नहीं
47.	धारा 49	91	नहीं
48.	धारा 50	92	नहीं
49.	धारा 51	93	नहीं
50.	धारा 52	78	नहीं
51.	धारा 53	79	नहीं
52.	धारा 54	79क	नहीं

क्र सं..	कंपनी अधिनियम, 2013 के यथाअधिसूचित प्रावधान (98+1+183= 282 धाराएं)	कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान	कंपनी अधिनियम,1956 के संगत प्रावधान, जो लागू रहेगें
53.	धारा 55 उपधारा (3) के अतिरिक्त	80 और 80क (धारा 80क (1) और धारा 80ख (2) के परंतुक के अतिरिक्त)	धारा 80क(1) और धारा 80क(2) का परंतुक
54.	धारा 56	108, 108क to 108 झ, 109,110,113	नहीं
55.	धारा 57	116	नहीं
56.	धारा 58	111	नहीं
57.	धारा 59	111क	नहीं
58.	धारा 60	148	नहीं
59.	धारा 61 (उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक के अतिरिक्त)	94	नहीं
60.	धारा 62 (उपधारा (4) से (6) के अतिरिक्त)	81 (उपधारा (4) से (7) के अतिरिक्त)	धारा 81 और धारा 94 क की उपधारा (4) से (7)
61.	धारा 63	205 (3) का परंतुक	नहीं
62.	धारा 64	94क(3), 95,97	नहीं
63.	धारा 65	98	नहीं
64.	धारा 67	77	नहीं
65.	धारा 68	77क	नहीं
66.	धारा 69	77कक	नहीं
67.	धारा 70	77ख	नहीं
68.	धारा 71 (उपधारा (9) से (11) के अतिरिक्त)	117,117क,117ख,117ग,118,119, 122 117ख(4) और 117ग (4) और (5) के अतिरिक्त	117ख(4) और 117ग (4) और (5)
69.	धारा 72	109क,109ख	नहीं
70.	धारा 73	58क, 58कक, 58ककक, 58ख, 59	नहीं
71.	धारा 74 की उप-धारा (1)	नहीं	नहीं
72.	धारा 76	58क	नहीं
73.	धारा 77	125,128, 129,132, 133, 145	नहीं
74.	धारा 78	134	नहीं
75.	धारा 79	127,135	नहीं
76.	धारा 80	126	नहीं
77.	धारा 81	130	नहीं
78.	धारा 82	138	नहीं
79.	धारा 83	139,140	नहीं
80.	धारा 84	137	नहीं
81.	धारा 85	131, 136,143,144	नहीं
82.	धारा 86	142	नहीं

क्र सं..	कंपनी अधिनियम, 2013 के यथाअधिसूचित प्रावधान (98+1+183= 282 धाराएं)	कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान	कंपनी अधिनियम,1956 के संगत प्रावधान, जो लागू रहेगें
83.	धारा 87	141	नहीं
84.	धारा 88	150,151,152,152क,153, 153क, 153ख, 157, 158	नहीं
85.	धारा 89	187ग	नहीं
86.	धारा 90	187घ	नहीं
87.	धारा 91	154	नहीं
88.	धारा 92	159,160,161,162, अन्सूची V	नहीं
89.	धारा 93	नहीं	नहीं
90.	धारा 94	163	नहीं
91.	धारा 95	164	नहीं
92.	धारा 96	165,166, 170	नहीं
93.	धारा 100	169 (9)	नहीं
94.	धारा 101	171,172	नहीं
95.	धारा 102	173	नहीं
96.	धारा 103	174	नहीं
97.	धारा 104	175	नहीं
98.	धारा 105	176, अन्सूची IX	नहीं
99.	धारा 106	181,182,183	नहीं
100.	धारा 107	177, 178	नहीं
101.	धारा 108	नहीं	नहीं
102.	धारा 109	179,180,184,185	नहीं
103.	धारा 110	192क	नहीं
104.	धारा 111	188	नहीं
105.	धारा 112	187क, 187ख	नहीं
106.	धारा 113	187	नहीं
107.	धारा 114	189	नहीं
108.	धारा 115	190	नहीं
109.	धारा 116	191	नहीं
110.	धारा 117	192	नहीं
111.	धारा 118	193,194,195,197	नहीं
112.	धारा 119 (उपधारा (4) के अतिरिक्त	196	नहीं
113.	धारा 120	नहीं	नहीं
114.	धारा 121	नहीं	नहीं
115.	धारा 122	नहीं	नहीं
116.	धारा 123	धारा 205 धारा 205क की उपधारा (3)	नहीं

क्र सं..	कंपनी अधिनियम, 2013 के यथाअधिसूचित प्रावधान (98+1+183= 282 धाराएं)	कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान	कंपनी अधिनियम,1956 के संगत प्रावधान, जो लागू रहेगें
		धारा 206	
117.	धारा 126	206क	नहीं
118.	धारा 127	207	नहीं
119.	धारा 128	209 214	नहीं
120.	धारा 129	210, 211, 212, 213, 221, 222, 223	नहीं
121.	धारा 133	211 (3ग)	नहीं
122.	धारा 134	215, 216, 217, 218	नहीं
123.	धारा 135	नहीं	नहीं
124.	धारा 136	219	नहीं
125.	धारा 137	220	नहीं
126.	धारा 138	नहीं	नहीं
127.	धारा 139	224, 224क, 619	नहीं
128.	धारा 140 [उपधारा (4) उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अतिरिक्त	225 उपधारा (3) के परंतुक के अतिरिक्त	धारा 225 की उपधारा (3) का परंतुक
129.	धारा 141	226	नहीं
130.	धारा 142	224(8)	नहीं
131.	धारा 143	227, 228, 263क	नहीं
132.	धारा 144	नहीं	नहीं
133.	धारा 145	229, 230	नहीं
134.	धारा 146	231	नहीं
135.	धारा 147	232, 233, 233क	नहीं
136.	धारा 148	233ख	नहीं
137.	धारा 149	252, 253, 258, 259	नहीं
138.	धारा 150	नहीं	नहीं
139.	धारा 151	धारा 252 की उपधारा (1) के अतिरिक्त	नहीं
140	धारा 152	254, 255, 256, 264	नहीं
141	धारा 153	266क	नहीं
142	धारा 154	266ख	नहीं
143	धारा 155	266ग	नहीं
144	धारा 156	266घ	नहीं
145	धारा 157	266ड़	नहीं
146	धारा 158	266च	नहीं
147	धारा 159	266छ	नहीं
148	धारा 160	257	नहीं
149	धारा 161	260, 262, 313	नहीं
150	धारा 162	263	नहीं
151	धारा 163	265	नहीं

क्र सं..	कंपनी अधिनियम, 2013 के यथाअधिसूचित प्रावधान (98+1+183= 282 धाराएं)	कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान	कंपनी अधिनियम,1956 के संगत प्रावधान, जो लागू रहेगें
152	धारा 164	202, 274	नहीं
153	धारा 165	275, 276, 277, 278, 279	नहीं
154	धारा 166	312	नहीं
155	धारा 167	283	नहीं
156	धारा 168	नहीं	नहीं
157	धारा 169 (उपधारा (4) के अतिरिक्त)	284 उपधारा (4) के अतिरिक्त	धारा 284 उपधारा (4)
158	धारा 170	303, 307	नहीं
159	धारा 171	304	नहीं
160	धारा 172	नहीं	नहीं
161	धारा 173	285, 286	नहीं
162	धारा 174	287, 288	नहीं
163	धारा 175	289	नहीं
164	धारा 176	290	नहीं
165	धारा 177	292क	नहीं
166	धारा 178	नहीं	नहीं
167	धारा 179	धारा 291 धारा 292	नहीं
168	धारा 180	293	नहीं
169	धारा 181	नहीं	नहीं
170	धारा 182	293क	नहीं
171	धारा 183	293ख	नहीं
172	धारा 184	299, 305	नहीं
173	धारा 185	295, 296	नहीं
174	धारा 186	372क	नहीं
175	धारा 187	49	नहीं
176	धारा 188	294, 294क, 294कक, 297, 314	नहीं
177	धारा 189	301	नहीं
178	धारा 190	302	नहीं
179	धारा 191	319, 320, 321	नहीं
180	धारा 192	नहीं	नहीं
181	धारा 193	नहीं	नहीं
182	धारा 194	नहीं	नहीं
183	धारा 195	नहीं	नहीं
184	धारा 196	197क, 267, 311, 317, 384, 385, 388	नहीं
185	धारा 197	198, 201, 309, 310, 387	नहीं
186	धारा 198	349	नहीं
187	धारा 199	नहीं	नहीं
188	धारा 200	637कक	नहीं
189	धारा 201	640ख	नहीं
190	धारा 202	318	नहीं
191	धारा 203	269, 316, 386	नहीं
192	धारा 204	नहीं	नहीं
193	धारा 205	नहीं	नहीं
194	धारा 206	234 [उप-धारा (8)के अतिरिक्त]	नहीं
195	धारा 207	209क	नहीं

क्र सं..	कंपनी अधिनियम, 2013 के यथाअधिसूचित प्रावधान (98+1+183= 282 धाराएं)	कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान	कंपनी अधिनियम,1956 के संगत प्रावधान, जो लागू रहेगें
196	धारा 208	नहीं	नहीं
197	धारा 209	234क	नहीं
198	धारा 210	235	नहीं
199	धारा 211	नहीं	नहीं
200	धारा 212 [उपधारा (8) से (10)के अतिरिक्त];	नहीं	नहीं
201	धारा 214	236	नहीं
202	धारा 215	238	नहीं
203	धारा 216 [उपधारा (2)के अतिरिक्त]	247 [उपधारा (1)क के अतिरिक्त]	धारा 247 की उपधारा (1)क
204	धारा 217	240	नहीं
205	धारा 219	239	नहीं
206	धारा 220	240क	नहीं
207	धारा 223	241, 246	नहीं
208	धारा 224[उपधारा (2) से (5)के अतिरिक्त]	242, 244	धारा 243
209	धारा 225	245	नहीं
210	धारा 228	धारा 234 की उपधारा (8)	नहीं
211	धारा 229	नहीं	नहीं
212	धारा 366	565	नहीं
213	धारा 367	574	नहीं
214	धारा 368	575	नहीं
215	धारा 369	576	नहीं
216	धारा 370[परंतुक के अतिरिक्त]	धारा 577 परंतुक के अतिरिक्त	धारा 577 का परंतुक
217	धारा 371	धारा 578	नहीं
218	धारा 374	नहीं	नहीं
219	धारा 379	नहीं	नहीं
220	धारा 380	592, 593	नहीं
221	धारा 381	594	नहीं
222	धारा 382	595	नहीं
223	धारा 383	596	नहीं
224	धारा 384	600	नहीं
225	धारा 385	601	नहीं
226	धारा 386	602	602
227	धारा 387	603	नहीं
228	धारा 388	604	नहीं
229	धारा 389	605	नहीं
230	धारा 390	605क	नहीं
231	धारा 391 की उप-धारा (1)	607	नहीं
232	धारा 392	598, 606	नहीं
233	धारा 393	599	नहीं
234	धारा 394	619क	नहीं
235	धारा 395	नहीं	नहीं
236	धारा 396	609	नहीं
237	धारा 397	610क	नहीं
238	धारा 398	610ख	नहीं

क्र सं..	कंपनी अधिनियम, 2013 के यथाअधिसूचित प्रावधान (98+1+183= 282 धाराएं)	कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान	कंपनी अधिनियम,1956 के संगत प्रावधान, जो लागू रहेगें
239	धारा 399 उपधारा (2) में ट्रिब्यूनल शब्द के संदर्भ के अतिरिक्त (2)	610	नहीं
240	धारा 400	नहीं	नहीं
241	धारा 401	610घ	नहीं
242	धारा 402	610ड़	नहीं
243	धारा 403	611, अनूसूची X	नहीं
244	धारा 404	612	नहीं
245	धारा 405	615	नहीं
246	धारा 406	620क	नहीं
247	धारा 407	10च घ की व्याख्या	नहीं
248	धारा 408	10च ख, 10च घ	नहीं
249	धारा 409	10च	नहीं
250	धारा 410	10च द	नहीं
251	धारा 411	नहीं	नहीं
252	धारा 412	10च भ	नहीं
253	धारा 413	10ड़ च, 10च न	नहीं
254	धारा 414	10च छ, 10च ब	नहीं
255	धारा 439	621, 624	नहीं
256	धारा 442	नहीं	नहीं
257	धारा 443	624क	नहीं
258	धारा 444	624ख	नहीं
259	धारा 445	नहीं	नहीं
260	धारा 446	626	नहीं
261	धारा 447	नहीं	नहीं
262	धारा 448	628	नहीं
263	धारा 449	629	नहीं
264	धारा 450	629क	नहीं
265	451	नहीं	नहीं
266	452	630	नहीं
267	453	631	नहीं
268	धारा 454	नहीं	नहीं
269	धारा 455	नहीं	नहीं
270	456	635क	नहीं
271	धारा 457	635कक	नहीं
272	धारा 458	637	नहीं
273	धारा 459	637कक	नहीं
274	धारा 460	637ख	नहीं
275	धारा 461	638	नहीं
276	धारा 462	नहीं	नहीं
277	धारा 463	633	नहीं
278	धारा 464	11	नहीं
279	धारा 467	641	नहीं
280	धारा 468	643	नहीं
281	धारा 469	642	नहीं
282	धारा 470	नहीं	नहीं

क्र सं..	कंपनी अधिनियम, 2013 के यथाअधिसूचित प्रावधान (98+1+183= 282 धाराएं)	कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान	कंपनी अधिनियम,1956 के संगत प्रावधान, जो लागू रहेगें
	अनुसूची I	अनुसूची I	नहीं
	अनुसूची II	अनुसूची XIV	नहीं
	अनुसूची III	अनुसूची VI	नहीं
	अनुसूची IV	नहीं	नहीं
	अनुसूची V	अनुसूची XIII	नहीं
	अनुसूची VI	नहीं	नहीं
	अनुसूची VII	नहीं	नहीं

सामान्य परिपत्र सं.-11/2014

एमसीए-21/72/2014-ई गवर्नेंस
भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन
डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 12.05.2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक
सभी कंपनी रजिस्ट्रार
सभी पणधारक

विषयः- नामों को आरक्षित करने की अवधि को बढ़ाने के लिए एक अवसर

महोदय,

कंपनियों के निगमीकरण की सेवा नए ई-प्ररूपों की आवश्यकताओं के परिनियोजन के कारण दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से 28 अप्रैल, 2014 तक एमसीए 21 पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थी। बहुत से शेयरधारकों ने उपर्युक्त अवधि के दौरान 60 दिन की उल्लिखित वैधता के साथ कंपनी निगमीकरण के उद्देश्य से नाम आरक्षित करवाए। उन्हें सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण संबंधित निगमीकरण की अपेक्षाओं को नाम का प्रयोग करते हुए पूर्ण करने के लिए 60 दिन की उल्लिखित अवधि का लाभ नहीं मिल सका।

2. इसे देखते हुए, ऐसे नामों के आरक्षण की वैधता नियत तिथि 1 अप्रैल, 2014 से 28 अप्रैल, 2014 की समाप्ति से बढ़ाकर 31 मई, 2014 तक की जाती है। उपर्युक्त वर्ग में आने वाले सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों के निगमीकरण के लिए संबंधित ई फाइलिंग बढ़ाई हुई वैधता अवधि से पहले कर लें।

भवदीय

(केएमएस नारायणन)
सहायक निदेशक
23387263

1. सचिव के पीपीएस
2. अपर सचिव के पीपीएस
3. संयुक्त सचिव (आर)/ संयुक्त सचिव (बी)/संयुक्त सचिव(एम)/ जांच एवं निरीक्षण निदेशक (यूसीएन) जांच एवं निरीक्षण निदेशक(बीएनएच) के पीपीएस
4. निदेशक (एबी), निदेशक (एनसी), निदेशक (पीएस) केपीएस

सामान्य परिपत्र सं.-09/2014

एमसीए21/28/2014-ई गवर्नेंस

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन

डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 25.04.2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी पणधारक

विषयः- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत ई-प्ररूपों/गैर ई-प्ररूपो की उपलब्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे 2014 के परिपत्र संख्या 6 के क्रम मे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 28 अप्रैल, 2014 से 3 सामान्य ई-प्ररूपों सहित 46 ई-प्ररूप शेयरधारकों द्वारा फाइलिंग किए जाने हेतु उपलब्ध कराएं जाएगे। 3 सामान्य ई- प्ररूप, 17 प्ररूपों जो अभी ई-प्ररूप के रूप में उपलब्ध नही है, को भरने के लिए प्रयुक्त होंगे। इन 17 प्ररूपों और संबंधित उन 3 ई-प्ररूपों, जो इनके साथ अनुलग्नक के रूप में भरे जाएंगे, का विवरण तालिका 'क' में दिया जा रहा है।

2. शेयरधारक इन 17 प्ररूपों को भौतिक रूप से भरेंगे और प्ररूपों की अपेक्षानुसार यदि लागू होगा तो व्यवसायरतों द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित/प्रमाणित कराएंगे और संलग्न तालिका 'क' में दिए अनुसार इन्हें उल्लिखित सामान्य ई-प्ररूपों के साथ संलग्न करेंगे। यह व्यवस्था इन 17 प्ररूपों को ई- प्ररूपों के रूप में उपलब्ध कराए जाने तक जारी रहेगी।

3. इन 17 प्ररूपों की फाइलिंग के अतिरिक्त शेयरधारक जीएनएल-1 प्ररूप फाइल करके एजीएम की तारीख/अकाउंटिंग अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन भी कर सकते है। समापनाधीन कंपनियों के संबंध में दस्तावेज भी जीएनएल-2 प्ररूप के साथ फाइल करने स्वीकृत है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(60) के उद्देश्य के लिए व्यक्ति (व्यक्तियों) या प्रभारित या विनिर्दिष्ट निदेशक को जीएलएन-3 प्ररूप सहित फाइल करना स्वीकृत किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार को याचना दायर करने के लिए दस्तावेजों/प्ररूपो को प्ररूप आरडी-2 प्ररूप के साथ फाइल करना स्वीकृत किया जाएगा।

4.एतदद्वारा सभी कंपनी रजिस्ट्रारों को यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित कर्मचारी/अनुमोदन अधिकारियों को रजिस्ट्री करने या तदनुसार अनुमोदन आदि देने से पहले भौतिक रूप से संलग्न प्ररूप की अच्छी तरह कंपनी का नाम और सीआईअन आदि सहित सभी फील्डों को जांचने की आवश्यकता है।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(केएमएस नारायणन)

सहायक निदेशक

23387263

संलग्नकः यथोपरी

अनुलग्नक

तालिका-क

कुछ ई-प्ररूपों में एक अनुलग्लक के रूप में प्ररूपों की फाइलिंग

क्र.सं.	सामान्य ई-प्ररूप	सामान्य ई-प्ररूप के साथ संलग्नक किए जाने वाला प्ररूप	संलग्न किए जाने वाले प्ररूप का विषय/उद्देश्य
1.	जीएनएल-2	पीएएस-2	सूचना ज्ञापन
2.		पीएएस-4	प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर पत्र
3.		एसएच-9	ऋण की घोषणा
4.		डीपीटी-1	जमाओं के लिए विज्ञापन का प्रपत्र
5.		डीपीटी-3	जमाओं का लौटना
6.		डीपीटी-4	प्रारंभ में उपलब्ध जमाओं को लौटाना
7.		एडीटी-1	कंपनी द्वारा लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सूचना
8.		एडीटी-3	लेखापरीक्षक द्वारा पदत्याग की सूचना
9.		डीआईआर-9	वर्तमान निदेशकों की डीआईएन के लिए कंपनी द्वारा आरओसी को रिपोर्ट
10.		एनडीएच-1	निधि कंपनियों द्वारा सांविधिक अनुपालन का विवरण
11.		एनडीएच-3	निधि कंपनियों द्वारा अर्धवार्षिक विवरण
12.	सीजी-1	डीआईआर-10	अयोग्यता को हटाने के लिए आवेदन का प्ररूप
13.		सीएचजी-8	देरी की माफी हेतु सीजी को आवेदन
14.		एमजीटी-3	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की स्थिति की सूचना या स्थिति परिवर्तन और सत्यापन
15.	आरडी-1	एडीटी-2	लेखापरीक्षकों को हटाने के लिए आवेदन
16.		डीआईआर-5	डीआईएन छोड़ने के लिए आवेदन
17.		एनडीएच-2	प्रादेशिक निदेशक को समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन

सामान्य परिपत्र सं.-08/2014

सं. 1/19/2013-सीएल-V

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन

डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 04.04.2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी पणधारक

विषयः- लेखापुस्तकों और वित्तीय विवरणों को तैयार करना/ वित्तीय विवरणों लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट और ऐसे विवरणों और रिपोर्टों के अनुलग्नकों को तैयार करना/ चुनना/ फाइलिंग के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का प्रारंभ- संबंधित वित्तीय वर्ष के संबंध में लागू करना।

महोदय,

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनेक प्रावधान, जिनमें लेखा पुस्तकों के रखरखाव, वित्तीय विवरणों (और उनमें संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों) लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और निदेशक मंडल की रिपोर्ट (बोर्ड की रिपोर्ट) भी सम्मिलित है; दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत की गई। इसी तिथि को अनुसूची-II (मूल्यह्रास की गणना के लिए उपयोग प्रावधान) और अनुसूची III (वित्तीय विवरणों का फार्मेट) के प्रावधान भी प्रवृत किए गए। इन प्रावधानों से संबंधित प्रासंगिक नियमों को भी को अधिसूचित किया गया तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया तथा इसी तारीख को प्रवृत हुए।

लेखापुस्तिकों के रख-रखाव, वित्तीय विवरणों (और उनके अनुलग्कों), लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट को तैयार करने, चयन करने और फाइल करने से सबंधित नए अधिनियम के ऐसे प्रावधान किस वर्ष से लागू होंगे इस बारे में मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

हालांकि इस संबंध में स्थिति बिल्कुल साफ है किंतु इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से पूर्व के वित्तीय वर्षों के संबंध में वित्तीय विवरणों (और उनमें संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज), लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और

बोर्ड रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों/अनुसूचियों/नियमों द्वारा संचालित किए जाएंगे तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2014 के बाद प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में नए अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

भवदीय

(केएमएस नारायणन)
सहायक निदेशक
23387263

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. ई गवर्नेंस अनुभाग और वेब कंटेंट्स अधिकारी को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
2. गार्ड फाइल

सामान्य परिपत्र सं.-07/2014

सं. 2/01/2014-सीएल-V

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन

डा.राजेन्द्र प्रसाद, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 01.04.2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक

सभी कंपनी रजिस्ट्रार

सभी पणधारक

विषयः- कंपनी अधिनियम, 2013 के अभी तक के अधिसूचित प्रावधानों को कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों के संबंध में सूचना को प्रसारित करना।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है मंत्रालय ने पहले ही कंपनी अधिनियम, 2013 की 99 धाराएं दिनांक 12.09.2013 को अधिसूचित कर दी थी तथा 183 धाराएं दिनांक 01.04.2014 को अधिसूचित की गई है। कंपनी अधिनियम, 1956 की कुछ संगत धाराएं और कुछ धाराओं में भाग जारी रहेंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 इन अधिसूचित प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों जो लागू रहेंगे, को दर्शाने वाली एक तालिका सभी शेयरधारकों को प्रसारित करने हेतु संलग्न की गई है।

भवदीय

(केएमएस नारायणन)

सहायक निदेशक

23387263

संलग्न- यथोपरी